मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/बी-7/2/सी.सी.टी.व्ही./कैमरे/2806 भोपाल, दिनांक 13.06.2016

परिपत्र

विषय :- प्रदेश की मण्डी समितियों/उपमण्डियों में सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के स्थापन एवं संचालन के संबंध में।

--00--

प्रदेश की मण्डी समितियों में विगत वर्षो में कृषि विपणन के कार्य में वृद्धि हुई है इन मण्डी समितियों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से सी.सी.टी.व्ही. कैमरे की स्थापना की आवश्यकता प्रतिपादित हुई है। अतः मण्डी समितियों में सी.सी.टी.व्ही. स्थापना एवं संचालन के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

01. कृषि उपज मण्डी/उपमण्डी में सी.सी.टी.व्ही. कैमरों की आवश्यकता का आंकलन कार्यपालन यंत्री, तकनीकी कार्यालय की अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें सचिव, मण्डी समिति, उपयंत्री एवं सी.सी.टी.व्ही. कैमरे के तकनीकी ज्ञान रखनेवाला शासकीय/अर्द्धशासकीय/प्रायवेट संस्था के सदस्य होंगे, द्वारा किया जावेगा।
02. उपरोक्त समिति मण्डी समिति में लगनेवाले सी.सी.टी.व्ही. के कैमरों का स्थल चयन के साथ ही उसका चिन्हांकन करते हुए संख्या का आंकलन करेंगे।
03. उपरोक्त आवश्यकता के आधार पर लगने वाले कैमरों के विभिन्न तकनीकी मापदण्डों का निर्धारण तकनीकी जानकारी रखने वाले सदस्य की सहायता से गठित समिति निर्धारित करेगी। यह समिति उक्त कार्य पर होने वाले व्यय का भी अनुमान लगाएगी।
04. सचिव, मण्डी समिति यह सुनिश्चित होने पर कि उपरोक्तानुसार व्यय के लिए पर्याप्त बजट आवंटन का प्रावधान है/हो सकेगा, के आधार पर प्रस्ताव मण्डी समिति के समक्ष रखेगा।
05. मण्डी समिति द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर सचिव, मण्डी समिति द्वारा म.प्र.भण्डार क्रय एवं उपार्जन नियम 2015 के अनुसार क्रय की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
06. क्रय करते समय यह विशेष सावधानी रखी जाएगी कि प्रदायकर्ता संस्था क्रय के लिए अधिकृत है तथा वह मण्डी स्तर पर निर्धारित मापदण्डों वाले सी.सी.टी.व्ही. कैमरों को स्थापन करा सके।

07. क्रय किए जाने वाले सी.सी.टी.व्ही. कैमरों की 03 वर्ष की वारन्टी तथा इस अवधि के रख-रखाव की पूर्ण जिम्मेदारी प्रदायकर्ता की होगी। इस संबंध में प्रावधान क्रयादेश में अवश्य किया जावेगा।

08. सी.सी.टी.व्ही. कैमरा प्रदायकर्ता द्वारा कैमरों की स्थापना कर उसके संचालन के लिए दो कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेगा तत्संबंधी शर्त का उल्लेख भी क्रय आदेश में होगा। प्रशिक्षित कर्मचारियों का दायित्व होगा कि वे मण्डी के अन्य कर्मचारियों/अधिकारियों को सी.सी.टी.व्ही. कैमरा उपयोग/संचालन की जानकारी/प्रशिक्षण दें।

09. कैमरों के स्थापन के पश्चात् निर्देश बिन्दू क्रमांक 01 में उल्लेखित तकनीकी सदस्य से सी.सी.टी.व्ही. कैमरों की विशिष्टताओं के संबंध में जांच कराई जाना आवश्यक/अनिवार्य होगा।

10. क्रय किए गए कैमरों की स्टाक एन्ट्री स्थाई परिसम्पत्ति पंजी में की जावेगी।

11. कैमरे स्थापना एवं उसके सुचारू संचालन होने पर संबंधित प्रदायकर्ता एजेन्सी को 90 प्रतिशत भुगतान किया जावे शेष 10 प्रतिशत भुगतान 03 माह तक कैमरों के सुचारू संचालन के पश्चात किया जावेगा।

12. प्रशिक्षित कर्मचारियों में से एक कर्मचारी की चक्रपद्धति से कैमरों के संचालन एवं उनकी देख-रेख, माह में प्रमुख घटनाओं का रिकार्ड करने की ड्यूटी, मण्डी सचिव द्वारा लगाई जावेगी।

13. उक्त रिकार्ड की मॉनिटरिंग प्रतिमाह सचिव, मण्डी समिति द्वारा की जावगी यदि कोई विशेष घटनाएं होती हैं तो उस पर कार्यवाही की जाए और उससे वरिष्ठालय को अवगत कराया जाए।

14. आंचलिक कार्यालय उप/संयुक्त/अपर संचालक का यह दायित्व होगा कि वे प्रत्येक तीन माह में एक बार मण्डी में लगाए गए सी.सी.टी.व्ही.कैमरों के संचालन एवं मण्डी के द्वारा कंडिका 13 में उल्लेख अनुसार उपयोगी की औचक जांच करे।

15. मण्डी समिति में लगाए गए सी.सी.टी.व्ही. कैमरों एवं रिकार्डिंग उपकरणों की वारन्टी समाप्त होने के कम से कम एक माह पूर्व इनके रख-रखाव के लिए वार्षिक रख-रखाव, इकरानामा, नियमानुसार किया जाना मण्डी समिति द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।

उपरोक्तानुसार प्रक्रिया का कढ़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

(अरूण पाण्डेय)
प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बी-7/2/सी.सी.टी.व्ही./कैमरे/2807 भोपाल, दिनांक 13 .06.2016

प्रतिलिपि :-

01. विशेष सहायक, माननीय कृषि मंत्री एवं अध्यक्ष, मण्डी बोर्ड, भोपाल।
02. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
03. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल
04. अपर संचालक (समस्त), म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल
05. मुख्य अभियंता, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल
06. अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री, निर्माण शाखा, मण्डी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल
07. संयुक्त संचालक (समस्त), म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल
08. उप संचालक (समस्त), म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल
09. संयुक्त संचालक/उप संचालक/मण्डी बोर्ड, आंचलिक कार्यालय................
10. कार्यपालन यंत्री, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग..............
11. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति,.........................जिला.....................

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल